राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः– निसंशि / शैक्ष–6 / शि. पुरस्कार / 2018 / 31925–31 दिनांकः– 25/7/2018

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी,
संभागीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,
कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर (चुरू),
राजस्थान।

विषयः–05 सितम्बर शिक्षा दिवस को दिये जाने वाले राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2018 के संबंध में।

प्रसंग– शासन के पत्रांक पं. 18(2) शिक्षा–2 / 2014 जयपुर दिनांक 25.02.2015 एवं पं. 18(2) शिक्षा–2 / 2016 जयपुर दिनांक 08.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 05 सितम्बर शिक्षक दिवस को दिये जाने वाले शिक्षक सम्मान के संबंध में कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / मा / ब / 22803 / 2018 / 117 / 24.07.2018 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों की छायाप्रतियां संलग्नकर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के अनुसार राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए संभाग के अधीनस्थ विद्यालयों में शिक्षकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव समुचित रूप से चैक व तैयार कर निदेशालय को दिनांक 31.07.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)
(डॉ. रामकुमार दाधीच)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/ब/22803/2018/117 दिनांक : 24/07/2018

(1) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
शिक्षा विभाग

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक)– प्रथम/द्वितीय

विषय :– राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान– 2018

सन्दर्भ :– शासन के पत्रांक : प.18(2) शिक्षा–2/2014, जयपुर, दिनांक : 25.02.2015 एवं प.18(2) शिक्षा–2/2016, जयपुर, दिनांक : 08.06.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 12.07.18 द्वारा राष्ट्र/राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाकर तदनुसार निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों में नवीन शासकीय निर्देशों के क्रम में "राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018" की सीमा तक प्रदत्त समस्त निर्देश प्रत्याहरित किए जाते हैं तथा उक्त निर्देश पत्र दिनांक : 12.07.18 में "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017" के सम्बन्ध में वर्णित समस्त निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे। सन्दर्भित पूर्व प्रदत्त शासकीय स्वीकृति के अनुरूप "राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018" हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

प्रस्तावना :– राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान योजना में शिक्षा विभाग में अध्ययन–अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत् सुधार एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है। इन पुरस्कारों के मूल उद्देश्य में छात्रों को केन्द्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तर उच्च हो, शिक्षा में वृद्धि हो तथा छात्रों को सीधा लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षकगणों को शिक्षा के अध्ययन–अध्यापन के साथ–साथ शिक्षा प्रबन्धन में गहन रूचि सतत् रूप से उत्पन्न होती रहे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर वरीयतानिर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यबाही सम्पादित किए जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं :–

{1} <u>सामान्य निर्देश :–</u>

(अ) सम्मान हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले समर्पित शिक्षकों के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किये जाएं :–

(1) स्थानीय समाज, अभिभावकों व विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा प्राप्त।
(2) नामांकन बढ़ानें में विशेष सफलता प्राप्त।
(3) विद्यालय भवन निर्माण के साधन–सुविधा बढ़ाने हेतु जनसहयोग प्राप्त करना।
(4) उच्च कोटि का अध्यापन कार्य।
(5) अध्ययन के क्षेत्र में नवीन विधियों व तकनीकी का प्रयोग।
(6) उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं उसमें गुणात्मक सुधार।
(7) शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों/शोधों/आलेखों का प्रकाशन।

(ब) इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों को संलग्न शिक्षक सम्मान हेतु सूक्ष्म चयन अंक योजना के अनुसार देय अंकों के आधार पर वरीयता बनाकर **प्रथम बारह स्थान** प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षको का आधारभूत आकलन (ग्राउण्ड एसेसमेन्ट) करवाया जावे। **संलग्न परिशिष्ट –2**

(स) आधारभूत आकलन (ग्राउण्ड एसेसमेन्ट) के उपरान्त वरीयता में **प्रथम चार स्थान** पर आने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव चार प्रतियों में सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित किए जावें।

(द) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दो "स्पेशल अवार्ड" राज्य स्तर पर देय है। इसके लिए **विशेष योग्यजन शिक्षकों द्वारा विशेष योग्यजन छात्रों के लिए शिक्षा में अथवा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सामान्य शिक्षक, जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र मे सेवाएं दे रहे है, इन "स्पेशल अवार्ड" के लिए पात्र होंगे।** इस हेतु पात्र प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता बनाकर **प्रथम स्थान** प्राप्त शिक्षक का प्रस्ताव पांच प्रतियों में सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

(य) प्रस्ताव तैयार करने में क्षेत्रीय भाषाओं के उत्कृष्ट शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जावे।

(र) यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि प्रारम्भिक शिक्षा की श्रेणी में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाने वाले समस्त शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना है, भले ही वे माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) में कार्यरत हों एवं उनके परीक्षा परिणाम की गणना हेतु विद्यालय में सम्बन्धित सत्र में कक्षा– 5 एवं 8 में अध्यापन विषय के परीक्षा परिणाम को ही आधार माना जाएगा।

(ल) प्रस्तावों की समीक्षा कर सभी प्रस्ताव, उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को **<u>तीन प्रतियों में</u>** एवं उप निदेशक (प्रारम्भिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को **<u>समयबद्ध पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इस में किसी भी प्रकार की शिथिलता नही बरती जावे।</u>**

(व) उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) का दायित्व है कि वह अपने मण्डल के प्रस्ताव अनिवार्यतः निर्धारित समय में निदेशालय को उपलब्ध कराए।

{2} <u>जिला चयन समिति :–</u>

जिला स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए करेंगे :–

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
(3)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त) (मण्डल अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाने हैं)	सदस्य (कोई दो)

चयन समिति के गठन में निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखा जावे :–

- जिला स्तरीय चयन समिति में ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को मनोनीत नहीं किया जाए, जिसका नाम सम्मान हेतु विचारणीय है।
- जिला स्तरीय चयन समिति का गठन उपर्युक्तानुसार ही होना चाहिए। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा व जांच करने का कार्य सम्बन्धित उप निदेशक का ही है।

{3} <u>परिशिष्ट</u> :–

(अ) राज्य/मण्डल स्तरीय सम्मान के लिए शिक्षक की सिफारिश हेतु निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप **<u>(परिशिष्ट–1)</u>** संलग्न है।

(ब) उक्त प्रपत्र के भाग क,ख एवं ग की पूर्तियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक/संस्था प्रधान के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, पढ़ाए जाने वाले विषयों के परीक्षा परिणाम/विद्यालय का परीक्षा परिणाम, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की टिप्पणियां आदि स्त्रोतों से की जाए। इसके साथ सभी सूचनाएं, प्रशंसा/प्रशस्ति/पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, प्रकाशित पुस्तकों/लेख/साहित्य इत्यादि की पुष्टि के लिए अभिलेख संलग्न किए जाएं। **<u>(संलग्न परिशिष्ट–3)</u>**

(स) प्रपत्र के भाग "क" का कॉलम संख्या–13 मूल सेवा रिकार्ड से सम्बन्धित है। इस भाग की सभी पूर्तियां भी करनी है। **<u>सेवा विवरण परिशिष्ट–4 में अंकित करना है।</u>**

(द) प्रपत्र के भाग "घ" में जिला चयन समिति की सिफारिश की जाए। इस पर जिला चयन समिति के अध्यक्ष एवं चारों सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

(य) शिक्षक द्वारा अर्जित योग्यताओं का विवरण **परिशिष्ट–5 में अंकित किया जाए।**

(र) शिक्षक से किसी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जाए और न ही सम्बन्धित को यह बताने की आवश्यकता है कि उनका नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जा रहा है। अनुशंसा नितांत निष्पक्ष और न्यायोचित होनी चाहिए।

(ल) प्रपत्र के सभी भाग क,ख,ग एवं घ तैयार करने में **पूर्णतया गोपनीयता बरती जाए।**

(व) ''विशेष शिक्षा में योगदान'' श्रेणी में प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु **(परिशिष्ट–12)** संलग्न है।

{4} पात्रता :–

(अ) इस सम्मान हेतु प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही पात्र हैं।

(ब) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक पात्र हैं, बशर्ते वे विगत 5 वर्षों में से न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा विद्यालयों में अध्यापन कार्य सहित पात्रता हेतु निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

(स) जिन शिक्षकों के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में चली हैं एवं वे दण्डित हुए हैं अथवा वर्तमान में विचाराधीन है, तो वे इस सम्मान हेतु अपात्र है।

(द) **उन्हीं शिक्षकों के प्रस्ताव अनुशंसित किए जावें, जिन्होंने पिछले पांच वर्षो में से कम से कम तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हो।**

(य) सामान्यतः सेवानिवृत्त हो जाने पर शिक्षक राज्य स्तरीय सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, किन्तु जिस वर्ष सम्मान दिया जाना है, उस वर्ष में कम से कम 4 माह तक अर्थात् इस वर्ष 2018 में 30 अप्रेल तक सेवारत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और प्रस्ताव अनुशंसित किए जा सकते हैं।

(र) जिन शिक्षकों के प्रस्ताव गत वर्ष अथवा पहले भेजे गये थे, यदि वे अब भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो उन पर पुनः विचार किया जा सकता है और पुनः प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसित किए जा सकते हैं।

{5} सेवा अवधि :–

(अ) मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, जबकि प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के लिए 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है। यहां यह ध्यान रखा जावे कि शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा ***"गत पांच वर्षो में से तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया गया हो।"***

(ब) समेकित शिक्षा (विशेष योग्यजनों के लिए शिक्षा) को उन्नत करने वाले शिक्षकों के लिए 10 वर्ष तथा संस्था प्रधानों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।

(स) जिस वर्ष के लिए सम्मान दिया जाना है, उसके गत वर्ष के 31 दिसम्बर तक वांछित शिक्षण अनुभव पूर्ण होना आवश्यक है।

{6} महिला शिक्षक :–

महिला शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों में यथायोग्य प्राथमिकता दी जावे।

{7} **नामांकन अभिवृद्धि :–**

छात्रों के नामांकन अभिवृद्धि हेतु उत्प्रेरण की दृष्टि से उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावे, जिन्होंने एक शैक्षिक सत्र में छात्र/छात्रा नामांकन में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। नामांकन अभिवृद्धि का अभिलेख पूर्णरूप से संलग्न होना चाहिए। इसमें महिला

शिक्षकों द्वारा जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों एवं क्षेत्रों में कार्यरत हों तथा नामांकन, साक्षरता, परिवार कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जावे।

{8} परीक्षा परिणाम :–

(अ) परीक्षा परिणाम गत पांच वर्षो के अंकित किए जाएं।

(ब) शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथा संस्था प्रधान का विद्यालय का समग्र परीक्षा परिणाम ही मान्य हैं। **पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को इसमें सम्मिलित नही किया जावे, केवल मुख्य परीक्षा का परिणाम शामिल करें।**

(स) एस.यू.पी.डब्ल्यू./कला शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/शारीरिक शिक्षा विषयों के गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा परिणाम अमान्य हैं।

(द) शिक्षक के परीक्षा परिणामों का उल्लेख प्रपत्र के भाग "क" की क्रम संख्या–13 के कॉलम–8 तथा भाग "ख" के क्रम संख्या–17 में विशेष रूप से करें। इसकी पुष्टि के लिए अधिकृत अधिकारी का प्रमाणित किया हुआ विवरण **परिशिष्ट–6 में अंकित करें।**

(य) शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में परीक्षा परिणाम के स्थान पर विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में गत पांच वर्षो में प्राप्त की गई उपलब्धियों के अनुरूप सूक्ष्म अंक योजना के अनुसार अंक देय होंगे। **(परिशिष्ट–10)**

{9} विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :–

जिला स्तर पर चयन पश्चात् अनुशंसित किए जाने वाले शिक्षकों के सेवाभिलेखों की बहुत सावधानीपूर्वक विस्तृत जांच की जावे। अनुशंसित किये जाने वाले शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच या कानूनी कार्यवाही पूर्व में ना ही चली है तथा ना ही दण्ड दिया गया है और ना ही वर्तमान में विचारधीन है, उक्त सम्बन्धी **प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी** द्वारा प्रत्येक शिक्षक की पंजिका के साथ **परिशिष्ट–7** के अनुसार संलग्न किया जावे। इसी प्रकार गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी संस्था के सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त कर **परिशिष्ट–8** के अनुसार संलग्न किया जावे।

{10} शिक्षक का फोटो :–

शिक्षक के प्रत्येक प्रपत्र के भाग "क" के ऊपर हाल ही के पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकानी है। इसके अलावा एक फोटो लिफाफे में अलग से संलग्न करें। फोटो के पिछले भाग में शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, पूरा पता अंकित किया जाए। ध्यान रहे, फोटो 6 माह से पुराना नही हो।

{11} वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन :–

(अ) प्रत्येक शिक्षक को विगत पांच वर्षो के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर अंक प्रदान किए जावें।

(ब) शिक्षकों एवं वरिष्ठ शिक्षकों (वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक) के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तावों के साथ संलग्न करने हैं एवं व्याख्याताओं और संस्था प्रधानों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन की स्थिति निदेशालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर तदनुसार अंक प्रदान करने हैं।

(स) गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर संस्था सचिव से प्रति वर्ष का समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा में से किसी एक स्केल में प्राप्त कर परिशिष्ट–9 के अनुसार संलग्न करना है।

{12} <u>जनसहयोग :–</u>

(अ) शिक्षक द्वारा मात्र अपने कार्यकाल के दौरान जिस विद्यालय में पदस्थापित रहे हैं, केवल उन्ही विद्यालयों के लिए ही जनसहयोग से कराये गये कार्य ही मान्य हैं।

(ब) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जनसहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(स) एक ही भवन/खेल मैदान अथवा अन्य प्रकार के जनसहयोग के लिए एक से अधिक शिक्षक को सम्मानित किए जाने की अनुशंसा नहीं की जावे।

(द) साम्ग्री/नकद प्राप्ति का प्रमाण–पत्र दानदाता द्वारा देय होना चाहिए, जो संस्था प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा और <u>निर्माण कार्य में लागत का प्रमाण–पत्र राजकीय सेवा/स्थानीय निकाय में कार्यरत अभियन्ता (कम से कम कनिष्ठ अभियन्ता स्तर) द्वारा दिए जाने पर ही मान्य होगा। स्थाई सामग्री (Permanant Artical) की स्टॉक एन्ट्री का विवरण अंकित करें तथा स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति भी संलग्न करें।</u>

(य) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक का जनसहयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र <u>परिशिष्ट–11 में अंकित करना है।</u>

{13} <u>ग्राउन्ड एसेसमेन्ट :–</u>

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) अपने क्षेत्राधिकार में तैयार प्रस्तावों की वरीयता बनाकर प्रथम बारह स्थान पर आने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का ग्राउन्ड एसेसमेन्ट एक समिति के द्वारा करवाएंगे। उक्त समिति का गठन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा :–

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(3)	एक प्रतिनिधि डाइट से जो वरिष्ठ व्याख्याता स्तर का हो	सदस्य

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति सम्मान हेतु तैयार प्रस्ताव के अनुसार शिक्षक द्वारा जिन विद्यालयों/संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उन विद्यालयों/संस्थाओं का दौरा करने जाएगी। समिति विद्यालयों/संस्थाओं के छात्र/छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों, संस्था प्रधानों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करेगी, शिक्षक–अभिभावक परिषद् के सदस्यों से मिलकर परिषद् के कार्यों में सम्बन्धित शिक्षक की भूमिका की अवगति प्राप्त कर निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप अंक प्रदान करेगी। अनुशासन की स्थापना, नामांकन व ठहराव, जन सहयोग, राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षक द्वारा योगदान का भी आकल किया जाएगा। समग्र रूप से सम्बन्धित शिक्षक द्वारा शैक्षिक, पर्यावरण समुन्नयन व स्वस्थ स्वरूप देने की दशा में किए गए प्रयासों को दृष्टि में रखकर अंक प्रदान किये जावें। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। ये अंक <u>परिशिष्ट–2 के अनुसार दिये जाए।</u>

{14} <u>पंचांग :–</u>

शिक्षक सम्मान से सम्बन्धित सभी कार्यो के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचाग निर्धारित किया जाता है : –

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवाना।	03 अगस्त, 2018
(2)	उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रस्तावों को समीक्षा उपरान्त अनुशंसा सहित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना।	08 अगस्त, 2018

(3) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना। — 10 अगस्त, 2018

(4) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना। — 10 अगस्त, 2018

उपर्युक्त वर्णित लिथियों तक पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य सम्पादित करने वाले शिक्षकों के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर **निर्धारित प्रक्रिया** के अनुरूप प्रस्तावों को अन्तिम तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए । सम्मान हेतु अनुशंसित किये जाने वाले प्रकरणों में **पूर्णतः गोपनीयता बरती जाए।** इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक को तथा उप निदेशकों द्वारा निदेशालय भिजवाए जाने वाले प्रस्ताव सील बन्द पैकेट में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवाएं। यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में **शिक्षकों के नाम अंकित न करें,** बल्कि उनकी सूची मूल लिफाफे में ही रखें

इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आवश्यक समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण–पत्रादि क्रमानुसार ही संलग्न किए जावें।

: : मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान : :

मण्डल स्तरीय सम्मान समारोह माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सम्मिलित रूप से गांधी जयन्ती दिनांक : 02/10/2018 को आयोजित किया जाएगा। इसके नॉडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक) रहेंगे। मंडल स्तर पर सम्मान हेतु उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाए, जिनके प्रस्तावों में मण्डल स्तर पर समीक्षा उपरान्त चयन की सूक्ष्म अंक योजना में प्राप्तांक न्यूनतम 50 हों एवं जिन्हें राज्य/मंडल स्तर पर पूर्व में सम्मानित नहीं किया गया हो।

ध्यान रहे कि प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों की नियन्त्रण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जांच एवं सत्यापन कर प्रत्येक शिक्षक का प्रस्ताव परिशिष्ट–1 से 12 तक में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– (1) तीन सूक्ष्म अंक योजनाएँ
(2) परिशिष्ट–1 से 12 तक

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर